राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(3842)आ.कृ./ 9998-10098 दिनांक : 23/2/2016

<u>आदेश</u>

विभाग में चल रही महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान एवं विधान सभा के बजट सत्र के मध्यनजर आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.2(3)(ब)(3702–iv)आ.कृ. /3676–5978 दिनांक 14.10.2015 द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के पद पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त एवं पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षकों को आयुक्तालय के विभिन्न आदेशो द्वारा उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृत किए गए असाधारण (अवैतनिक) अवकाश में से उपभोग की गई अवधि के बाद शेष रही अवकाश अवधि की स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित मुख्यालय/कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन
विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

क्रमांक प.2(3)(ब)(3842)आ.कृ./ 9998-10098 दिनांक : 23/2/2016

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. निदेशक, उद्यान, राज0 जयपुर।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
3. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि।
4. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) इगानप, बीकानेर/सीएडी, कोटा।
5. समस्त उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष कृषि/उद्यान को भेजकर लेख है कि जिन नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षको को उच्च अध्ययन हेतु असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया गया है, उनको तत्काल संबंधित मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु पाबन्द कर आयुक्तालय को अवगत करावें। भविष्य में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के किसी सैद्वान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि के लिए ही असाधारण (अवैतनिक) अवकाश संबंधी प्रकरण आयुक्तालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित करावें।
7. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को पालनार्थ।
8. आरक्षी पंजिका।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)